उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-175/2017/1808/92-2-17-198जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 03 अक्टूबर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम कुराली में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओ के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 12-06-2017 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति, जी0एस0बी0 में बैलास्ट की मात्रा कम पाये जाने एवं शिथिल नियंत्रण आदि के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-132/2017/1290/92-2-17-198जांच/ 2015 दिनांक 26-07-2017 द्वारा श्री एस0पी0 गौड, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। श्री गौड अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

2- अतएव श्री गौड के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-132/2017/1290/92-2-17-198जांच/2015 दिनांक 26-07-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उनके दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 175/2017/1808/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री एस0पी0 गौड, तत्का0 सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in